

चेकलिस्ट क्र. - 11

प्रपत्र - 3

**वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/वन मंडल अधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन**

1	परियोजना का नाम	भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल लाईन		
2	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य के लिये 4.403 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वनभूमि कुल 4.681 हे. भूमि की आवश्यकता आवेदक संस्थान की है।		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		राजनांदगांव	खैरागढ़	वनमंडल के समस्त परिक्षेत्र के विभिन्न कक्षों की वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा देश के सभी जिलों के तहसीलों व ग्रामों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में सभी आधुनिक दूरसंचार सुविधाओं का भरोसेमंद मिडिया 4जी आप्टिकल फायबर केबल है। इस लाईन के बिछाने से छोटी से छोटी जगह भी आधुनिकतम दूरसंचार सेवाओं का लाभ ले रही है। इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा डोंगरगढ़ से बोरतलाव मार्ग है। इस मार्ग में आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने का कार्य करने से मार्ग में पड़ने वाले समस्त आबादी क्षेत्रों को दूरसंचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस मिडिया के आने से सभी संबंधित क्षेत्र जिसमें वनक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आबादी क्षेत्र देश के हर हिस्से से जुड़ जाएंगे तथा ऐसी आबादी जो दूरस्थ वनांचल में निवासरत है उन्हें दूरसंचार का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसलिये आवेदक संस्थान द्वारा राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत समस्त वन परिक्षेत्र के विभिन्न वनकक्षों एवं राजस्व वनभूमि के अधिन आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य के लिये 4.403 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वनभूमि कुल 4.681 हे. भूमि की मांग आवेदक संस्थान द्वारा की जा रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।		

		पेज क्रमांक- 52					
(क) आरक्षित वन		क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रकबा (हे. में)	
		1	राजनांदगांव	खैरागढ़	छुईखदान	0.613	
		2	राजनांदगांव	खैरागढ़	डोंगरगढ़	0.025	
		3	राजनांदगांव	खैरागढ़	गंडई	0.000	
		4	राजनांदगांव	खैरागढ़	खैरागढ़	0.090	
		5	राजनांदगांव	खैरागढ़	उत्तर बोरतलाव	0.129	
		6	राजनांदगांव	खैरागढ़	साल्हेवारा	0.000	
		7	राजनांदगांव	खैरागढ़	दक्षिण बोरतलाव	0.227	
		आरक्षित वनभूमि का योग -					1.084
		(ख) सीमांकित संरक्षित वन		क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम
1	राजनांदगांव			खैरागढ़	छुईखदान	0.650	
2	राजनांदगांव			खैरागढ़	डोंगरगढ़	0.019	
3	राजनांदगांव			खैरागढ़	गंडई	0.663	
4	राजनांदगांव			खैरागढ़	खैरागढ़	0.211	
5	राजनांदगांव			खैरागढ़	उत्तर बोरतलाव	0.061	
6	राजनांदगांव			खैरागढ़	साल्हेवारा	1.248	
7	राजनांदगांव			खैरागढ़	दक्षिण बोरतलाव	0.467	
संरक्षित वनभूमि का योग -					3.319		
(ग) असीमांकित संरक्षित वन	निरंक						
(घ) राजस्व वन क्षेत्र	0.278 हे.						
	योग -	4.681 हे.					
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	आवेदित वनभूमि में भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल लाईन मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के अंतर्गत किया जाना है। जिसमें किसी भी प्रकार से वृक्षों का विदोहन शामिल नहीं है एवं मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे में वृक्ष विद्यमान नहीं है इसलिये कक्ष के हरियाली का घनत्व दिया जाना आवश्यक नहीं है। भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने का कार्य मार्ग के किनारे-किनारे मार्ग की सीमा के अंदर आने वाले रिक्त क्षेत्र में ही किया जाना है।					
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	आवेदित वनभूमि के रिक्त क्षेत्र अर्थात मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के अंतर्गत मार्ग के किनारे-किनारे मार्ग की सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र में बगैर वृक्ष विदोहन के आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने का कार्य किया जाना है जिसमें किसी भी प्रकार से वृक्षों का विदोहन नहीं होगा।					
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	प्राकृतिक सामान्य					

9	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./ वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	प्रकरण विविध के अंतर्गत है।
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील /वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें ।	नहीं।
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	नहीं।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देवें।	नहीं।

प्रमाण- पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक संस्थान द्वारा खैरागढ़ वनमंडल की 4.403 हे. मांग की गई वन भूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वनभूमि कुल 4.681 हे. भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु दिये जाने बाबत अनुशंसा की जाती है। स्थल निरीक्षण दिनांक :- 29.05-2020.

(रामअवतार दुबे)
भा.व.से.
वन मंडल अधिकारी
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़
खैरागढ़ वनमंडल